NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 01-08-2025

विषय सूची

» भारत में फ़्लैश फ्लड का प्रभाव
» दलबदल विरोधी कानून पर सर्वोच्च न्यायालय
» तमिलनाडु की ट्रांसजेंडर नीति और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
» कैबिनेट द्वारा पीएम किसान संपदा योजना के लिए ₹6,520 करोड़ को मंजूरी
» सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021
» ब्लू इकॉनमी(नीली अर्थव्यवस्था) पर श्वेत पत्र

संक्षिप्त समाचार

» शहीद उधम सिंह
» स्वच्छता पखवाड़ा 2025
» न्याय बंधु विधिक सहायता कार्यक्रम
» मलेरिया उन्मूलन
» भारत और मोरक्को द्वारा न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर
» राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)को सहायता अनुदान
» कवच 4.0
» कांडला बंदरगाह पर भारत का प्रथम 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू
» हिमगिरी

भारत में फ़्लैश फ्लड का प्रभाव

संदर्भ

- IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि भारत में फ्लैश फ्लड (अचानक आने वाली बाढ़) की बारम्बारता और तीव्रता में वृद्धि होती जा रही हैं।

फ्लैश फ्लड क्या हैं?

- फ्लैश फ्लड अचानक और तीव्र बाढ़ होती है जो भारी वर्षा की घटना के छह घंटे के अंदर उत्पन्न होती है। यह सामान्यतः उन क्षेत्रों में होती है जहाँ ढलान तीव्र होता है, जल निकासी प्रणाली कमजोर होती है, या मृदा पहले से ही संतृप्त या अत्यधिक सूखी होती है।

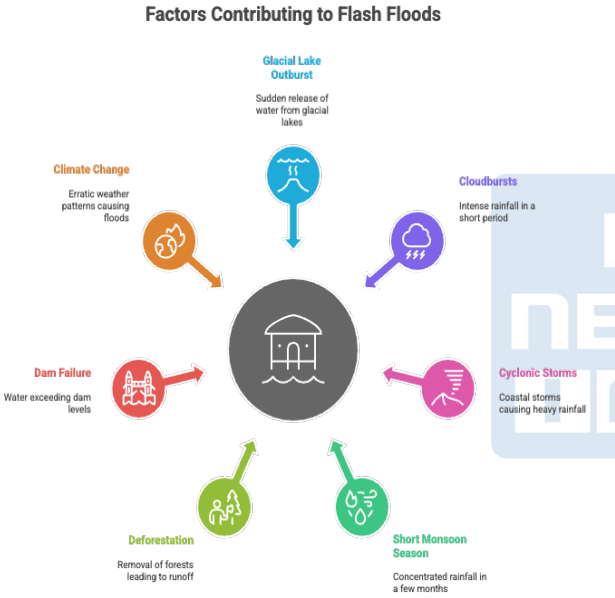

- नदी आधारित बाढ़ की तुलना में, फ्लैश फ्लड की चेतावनी का समय बहुत कम होता है, जिससे ये विशेष रूप से जानलेवा बन जाती हैं।

भारत में फ्लैश फ्लड का प्रभाव

- **मानव और आजीविका पर प्रभाव:** फ्लैश फ्लड अचानक आती हैं, जिससे अत्यधिक जानमाल की हानि होती है।
  - 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई फ्लैश फ्लड में 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई और हजारों लोग विस्थापित हुए।
- **सार्वजनिक सुविधाओं को हानि:** फ्लैश फ्लड से विद्युत लाइनें, पेयजल प्रणाली और मोबाइल नेटवर्क क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे आपदा के पश्चात् पुनःस्थापन धीमा और महंगा हो जाता है।
- **भूमि क्षरण:** तीव्र प्रवाह से ऊपरी मृदा का कटाव होता है, उपजाऊता घटती है और नदियों व जलाशयों में गाद की मात्रा बढ़ जाती है।
- **शहरी चुनौतियाँ:** मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहरों में कंक्रीट की सतहों और अतिक्रमित जल निकासी नालों के कारण जल तीव्रता से प्रवाहित होता है, जिससे बाढ़ की स्थिति गंभीर हो जाती है।

सरकारी पहलें

- **केंद्रीय जल आयोग (CWC)** देश में बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी देने का प्रमुख संगठन है।
- **भारतीय मौसम विभाग (IMD)** ने अमेरिकी राष्ट्रीय मौसम सेवा के साथ मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम (FFGS) विकसित किया है।
- **राष्ट्रीय हिमनद झील विस्फोट बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम (NGRMP)** को केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ₹150 करोड़ के बजट के साथ मंजूरी दी है।

सिफारिशें और अनुकूलन रणनीतियाँ

- **फ्लैश फ्लड पूर्वानुमान**: स्थलाकृति, जल निकासी, मृदा के आँकड़े और वास्तविक समय मौसम डेटा को एकीकृत करें।
- **प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली**: मृदा की आर्द्रता और स्थलाकृति को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र-विशिष्ट मॉडल विकसित करें।
- **सामुदायिक स्तर पर चेतावनी**: संवेदनशील जिलों में स्थानीय स्तर पर चेतावनी प्रणाली को बढ़ावा दें।
- **भूमि उपयोग और शहरी नियोजन**: उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों (जैसे बाढ़ मैदान, तीव्र ढलान) में निर्माण पर प्रतिबंध लगाएं।
  - जलवायु-लचीला अवसंरचना जैसे ऊँची सड़कें, जल पारगम्य फुटपाथ और जल निकासी नालियाँ बनाएं।

- **आपदा तैयारी**: बाढ़ जोखिम मानचित्रों को नियमित रूप से अपडेट करें और शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में मॉक ड्रिल आयोजित करें।
- **नीतियों में जलवायु अनुकूलन**: राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन ढांचे में जलवायु मॉडल को शामिल करें।
  - प्रकृति-आधारित समाधान जैसे आर्द्रभूमि संरक्षण, वनीकरण और जलग्रहण क्षेत्र पुनर्स्थापन को बढ़ावा दें।

Source: IE

दलबदल विरोधी कानून पर सर्वोच्च न्यायालय

समाचार में

- सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से आग्रह किया है कि वह अयोग्यता मामलों को निष्पक्ष और शीघ्रता से निपटाने के लिए विधानसभा अध्यक्षों एवं सभापतियों पर निर्भरता पर पुनर्विचार करे।
  - कोर्ट ने इन कार्यवाहियों में देरी और पक्षपात की आलोचना की और तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया कि वे 2024 में कांग्रेस में शामिल हुए 10 बीआरएस विधायकों के विरुद्ध लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लें।

क्या है दल-बदल विरोधी कानून?

- "आया राम गया राम" वाक्य 1967 में हरियाणा के विधायक गया लाल द्वारा एक ही दिन में तीन बार पार्टी बदलने के बाद भारतीय राजनीति में प्रसिद्ध हुआ।
- दल-बदल विरोधी कानून (संविधान की दसवीं अनुसूची) को 1985 में 52वें संशोधन द्वारा राजनीतिक दल-बदल को रोकने के लिए शामिल किया गया था।

The constitutional disqualifications as per the Articles 102 (1) (for becoming and being a member of Parliament) and 191(1) (for becoming and for being a member of State Legislative assembly) of the Constitution are:

Holding an Office of profit under the Central/State Government.	of unsound mind and stand, so declared by competent court	Undischarged insolvent.
Not a citizen of India or has acquired citizenship of a foreign State or is under acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign State.	Any other disqualification prescribed by Parliament.	

दल-बदल विरोधी कानून की विशेषताएँ

- **दल-बदल के आधार पर अयोग्यता:** किसी राजनीतिक दल से संबंधित विधायक अयोग्य ठहराया जाएगा यदि वह: (i) स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता त्याग देता है, या (ii) सदन में अपनी पार्टी के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है।
  - यदि सदस्य ने पहले से पार्टी की अनुमति ली हो, या पार्टी द्वारा 15 दिनों के अंदर उसकी कार्रवाई को स्वीकार कर लिया जाए, तो वह अयोग्य नहीं माना जाएगा।
  - स्वतंत्र सदस्य यदि चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो अयोग्य होगा। नामित सदस्य यदि नामांकन के छह महीने बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ता है तो अयोग्य होगा।
- किसी सदस्य को सदन से अयोग्य ठहराने का निर्णय अध्यक्ष/सभापति के पास होता है।

अपवाद

- दसवीं अनुसूची में प्रारंभ में दो अपवाद थे जिनके अंतर्गत सदस्य अयोग्य नहीं माने जाते थे:
  - यदि 'विधानमंडल दल' के एक-तिहाई सदस्य अलग समूह बनाते हैं।
  - यदि उनकी 'राजनीतिक पार्टी' का विलय किसी अन्य पार्टी में हो और 'विधानमंडल दल' के दो-तिहाई सदस्य इसे स्वीकार करें।
    - हालाँकि, पहले अपवाद (एक-तिहाई विभाजन) को 2003 में कानून को सुदृढ़ करने के लिए हटा दिया गया।

Objectives of Anti-Defection Law

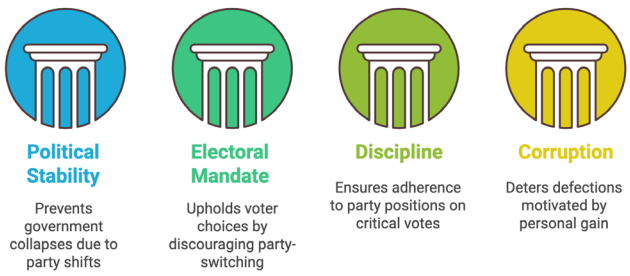

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

- **किहोतो होलोहोन बनाम ज़ाचिल्हू (1992):** अध्यक्ष द्वारा दल-बदल मामलों में लिए गए निर्णय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।

- **केशम मेघचंद्र सिंह बनाम अध्यक्ष, मणिपुर (2020):** सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष को अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने के लिए अधिकतम तीन महीने की समय सीमा निर्धारित की।

मुख्य मुद्दे और चुनौतियाँ

- अध्यक्ष द्वारा दल-बदल मामलों का निर्णय बिना निश्चित समयसीमा के होता है, जिससे देरी और पक्षपात की संभावना रहती है।
- न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है, लेकिन न्यायालय विधायी स्वायत्तता का उदाहरण देकर हस्तक्षेप से बचती हैं।
- यह तर्क दिया जाता है कि यह कानून विधायकों की अभिव्यक्ति और परिचर्चा की स्वतंत्रता को सीमित करता है।
- व्हिप प्रणाली कठोर पार्टी नियंत्रण लागू करती है, जिससे आंतरिक परिचर्चा या असहमति की संभावना कम हो जाती है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- दल-बदल विरोधी कानून ने राजनीतिक अस्थिरता को कम करने में सहायता की है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कमियाँ और अतिरेक हैं, जो इसके लोकतांत्रिक उद्देश्य को कमजोर करते हैं।
- सुधारों की आवश्यकता है ताकि पार्टी अनुशासन एवं जवाबदेही के बीच संतुलन बना रहे, निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित हो, और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को बढ़ावा मिले जिससे भारत की संसदीय प्रणाली मजबूत हो।

क्या आप जानते हैं?

- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 भारत में चुनावों को नियंत्रित करता है और योग्यता, अयोग्यता तथा चुनाव संबंधी अपराधों के नियम निर्धारित करता है।
  - धारा 8 के अंतर्गत विधायकों की अयोग्यता को परिभाषित किया गया है।
  - धारा 8(1) में शत्रुता फैलाना, रिश्वतखोरी और चुनावी धोखाधड़ी जैसे अपराध शामिल हैं।
  - धारा 8(2) में जमाखोरी, मिलावट और दहेज संबंधी अपराध शामिल हैं।
  - धारा 8(3) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसे दो वर्ष या उससे अधिक की सजा हुई हो, वह सजा की अवधि और रिहाई के छह वर्ष पश्चात् तक अयोग्य रहेगा।
  - पहले धारा 8(4) में अपील के लिए तीन महीने की छूट दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) में इसे रद्द कर दिया, जिससे दोषसिद्धि के तुरंत बाद अयोग्यता लागू हो जाती है।

Source :IE

तमिलनाडु की ट्रांसजेंडर नीति और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956

संदर्भ

- हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राज्य नीति, 2025" जारी की है, जिसमें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन का साहसिक प्रस्ताव शामिल है ताकि ट्रांसजेंडर एवं इंटरसेक्स व्यक्तियों को उत्तराधिकार के समान अधिकार मिल सकें।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- **द्विआधारी प्रकृति:** हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों में उत्तराधिकार को नियंत्रित करता है।
  - यह उत्तराधिकारियों को पुरुष या महिला के रूप में मान्यता देता है, तथा ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स व्यक्तियों को प्रायः उत्तराधिकार के अधिकारों से बाहर रखा जाता है, जब तक कि वे कानूनी रूप से पुरुष या महिला के रूप में पहचान नहीं करते हैं, गैर-द्विआधारी पहचान को छोड़कर।
  - **परिणाम:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रायः पारिवारिक संपत्ति अधिकारों से वंचित किया जाता है।
    - कई लोग उत्तराधिकार की कमी के कारण बेघर या आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं।
- **संवैधानिक विरोधाभास:** इस अधिनियम की द्विआधारी संरचना संविधान के अनुच्छेद 15 का

उल्लंघन करती है, जो लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है — जिसमें जेंडर आइडेंटिटी भी शामिल है।

- **न्यायिक मौनता:** सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय **NALSA बनाम भारत संघ (2014)** में तीसरे लिंग के रूप में आत्म-पहचान के अधिकार को मान्यता दी गई थी, फिर भी उत्तराधिकार कानून अभी भी द्विआधारी और बहिष्कारी बने हुए हैं।
  - **माफ़तलाल मामला (2005)** जैसे कानूनी संघर्ष इस सुधार की आवश्यकता को उजागर करते हैं।

वैश्विक दृष्टिकोण

- पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए उत्तराधिकार अधिकारों को शामिल किया है।
- भारत, अपने प्रगतिशील न्यायिक दृष्टिकोण के बावजूद, इन अधिकारों को व्यक्तिगत कानूनों में शामिल करने में पीछे है।

व्यापक महत्व

- **प्रगतिशील सामाजिक नीति**
- तमिलनाडु ने ट्रांसजेंडर मुद्दों पर ऐतिहासिक रूप से प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाया है — जैसे पहले ट्रांसजेंडर कल्याण योजनाएँ और कानूनी मान्यता।
  - यह प्रथम राज्य है जिसने ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की स्थापना की; कॉलेज आवेदन में तीसरे लिंग का विकल्प देने वाला पहला राज्य; और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा मानते हुए उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के लिए पात्र माना है।
- **केंद्रीय कानून के साथ समन्वय:** यह नीति **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** को सुदृढ़ करती है और राज्य स्तर पर इसके क्रियान्वयन को सुदृढ़ करती है।
- **मानवाधिकार और समावेशन:** ये प्रावधान संविधान के समानता (अनुच्छेद 14), भेदभाव-निषेध (अनुच्छेद 15), और गरिमा के साथ जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) जैसे अधिकारों को आगे बढ़ाते हैं।
- **अन्य राज्यों के लिए मॉडल:** तमिलनाडु की नीति अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन सकती है ताकि वे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अनुकूलित ढांचे विकसित कर सकें।

Source: TH

कैबिनेट द्वारा पीएम किसान संपदा योजना के लिए ₹6,520 करोड़ को मंजूरी

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के लिए बजटीय आवंटन को ₹1,920 करोड़ बढ़ाकर ₹6,520 करोड़ कर दिया है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके।

योजना के बारे में

- कुल आवंटन में से ₹1,000 करोड़ का प्रावधान एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) घटक योजना के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए किया गया है।
  - साथ ही, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FSQAI) घटक के अंतर्गत 100 NABL-प्रमाणित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी।
- ये पहलें केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं के अनुरूप हैं।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)

- SAMPADA – कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास की योजना, एक केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना है जिसे 2017 में मंजूरी दी गई थी।
- **मंत्रालय:** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI)
- **मुख्य उद्देश्य**
  - खेत से खुदरा दुकान तक आधुनिक अवसंरचना और कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के लिए एक समग्र पैकेज।
  - भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना।
  - किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में सहायता उत्पन्न करना और उनकी आय को दोगुना करने का समर्थन करना।

- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करना।
- खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना।
- प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।

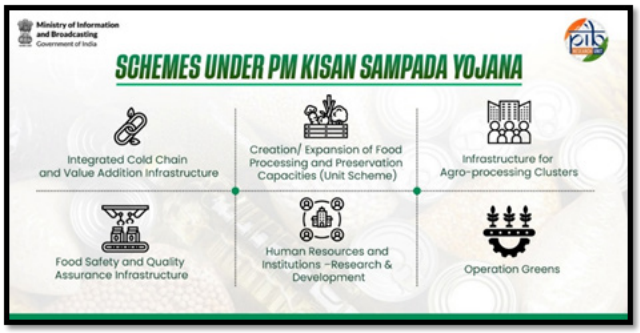

क्या है खाद्य प्रसंस्करण?

- खाद्य प्रसंस्करण को उन विधियों एवं तकनीकों के उपयोग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिनमें उपकरण, ऊर्जा और औजारों की सहायता से कृषि उत्पादों जैसे अनाज, मांस, सब्जियाँ, फल तथा दूध को खाद्य सामग्री या प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है।
- इसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं:
  - तैयारी
  - पकाना
  - संरक्षण
  - पैकेजिंग
  - पोषण संवर्धन (फोर्टिफिकेशन)
- प्रक्रियाएँ वैज्ञानिक रूप से विकसित की जाती हैं ताकि खाद्य सुरक्षित रहे और उसमें कोई हानिकारक रसायन या सूक्ष्मजीव न हों जो खाद्य जनित बीमारियाँ उत्पन्न कर सकें।

भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

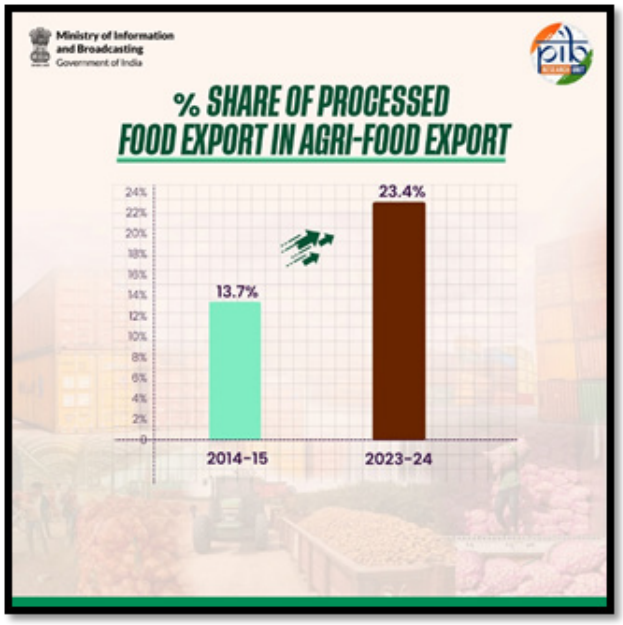

- **विकास के कारण:** भारत दूध एवं मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है और फल, सब्जियाँ, पोल्ट्री तथा मांस का प्रमुख उत्पादक है।
  - भारत के पास कई प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करती है।
  - विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उपयुक्त और व्यापक कच्चे माल का आधार है।

चुनौतियाँ

- **कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स:** पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज की कमी के कारण विशेष रूप से नाशवान वस्तुओं की भारी बर्बादी होती है।
- **परिवहन:** खराब सड़क और परिवहन अवसंरचना के कारण माल की आवाजाही में देरी होती है, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- **जटिल अनुपालन:** FSSAI जैसी एजेंसियों द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों और मानकों का पालन करना विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए चुनौतीपूर्ण होता है।
- **आधुनिक तकनीकों का सीमित उपयोग:** विभिन्न छोटे प्रसंस्करणकर्ता उन्नत तकनीकों एवं मशीनरी तक पहुँच नहीं रखते, जिससे दक्षता और विस्तार सीमित होता है।

- **मूल्य संवेदनशीलता:** उपभोक्ता प्रायः मूल्य-संवेदनशील होते हैं, जिससे प्रसंस्करणकर्ताओं के लाभ मार्जिन पर दबाव पड़ता है।
- **आपूर्ति में असंगतता:** मौसम की स्थिति के कारण कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव होता है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है और मूल्य में अस्थिरता आती है।
- **स्वास्थ्य जागरूकता:** स्वस्थ और जैविक विकल्पों की बढ़ती माँग के कारण प्रसंस्करणकर्ताओं को अपने उत्पादों को अनुकूलित करना पड़ता है, जो संसाधन-गहन हो सकता है।
- **बदलते स्वाद:** उपभोक्ता प्राथमिकताओं में तीव्रता से परिवर्तन के कारण नवाचार और उत्पाद विकास की निरंतर आवश्यकता होती है।

सरकारी पहलें

- **PLISFPI – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना:** इसे 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी और यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्षों की अवधि में लागू की जा रही है।

- **PMFME – प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना:** यह योजना 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए तकनीकी, वित्तीय और व्यावसायिक सहायता प्रदान कर रही है।
- **राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति:** इस नीति का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना और क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
- **बाजार पहुँच:** ई-कॉमर्स और प्रत्यक्ष बिक्री सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की बाजार पहुँच को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

आगे की राह

- भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास और स्थायित्व की अपार संभावनाएँ हैं।
- कोल्ड चेन सुविधाओं का विस्तार, वित्तीय प्रोत्साहन और कौशल विकास पहलों ने भारत को वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर किया है।
- नवाचार, स्थायित्व एवं उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करके यह क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन, खाद्य अपव्यय को कम करने और निर्यात को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

Source: PIB

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने उन याचिकाओं पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है जो सरोगेसी के माध्यम से संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों के लिए निर्धारित आयु सीमा को चुनौती देती हैं।
  - **सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) अधिनियम, 2021** और **सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021** सरोगेसी के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021

- **सरोगेसी की परिभाषा:** यह अधिनियम सरोगेसी को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करता है जिसमें

एक महिला एक दंपति के लिए बच्चा जन्म देती है और जन्म के पश्चात् उसे उस दंपति को सौंपने का प्रयोजन रखती है।

- यह केवल **परोपकारी उद्देश्यों** के लिए या उन दंपतियों के लिए अनुमति है जो सिद्ध **बांझपन या बीमारी** से पीड़ित हैं।
- **व्यावसायिक उद्देश्यों** के लिए सरोगेसी प्रतिबंधित है, जैसे कि बिक्री, वेश्यावृत्ति या किसी भी प्रकार के शोषण के लिए।

- **गर्भपात:** ऐसे भ्रूण का गर्भपात केवल **सरोगेट माँ की सहमति** और **प्राधिकरणों की अनुमति** से किया जा सकता है, और यह **गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम** के प्रावधानों के अनुसार होना चाहिए।
- **दंपतियों के लिए पात्रता और शर्तें:** दंपति को सरोगेसी के माध्यम से संतान प्राप्ति के लिए **पात्रता और आवश्यकता प्रमाणपत्र** प्राप्त करना अनिवार्य है।
  - दंपति तभी 'पात्र' माने जाते हैं जब:
    - उनकी शादी को **कम से कम पाँच वर्ष** हो चुके हों।
    - पत्नी की आयु **23 से 50 वर्ष** और पति की आयु **26 से 55 वर्ष** के बीच हो।
    - अविवाहित महिला की आयु **35 से 45 वर्ष** के बीच होनी चाहिए।
  - दंपति के पास **कोई जीवित संतान** (जैविक, गोद ली हुई या सरोगेसी से प्राप्त) नहीं होनी चाहिए।
  - यदि संतान मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है या जीवन-घातक बीमारी से ग्रस्त है, तो इस शर्त से छूट दी गई है।
  - दंपति को 'आवश्यकता' प्रमाणपत्र तब मिलेगा जब किसी एक साथी को सिद्ध बांझपन हो और यह **जिला चिकित्सा बोर्ड** द्वारा प्रमाणित हो।
  - उन्हें **सरोगेट माँ के लिए 16 महीने का बीमा कवरेज** भी लेना होगा, जो प्रसवोत्तर जटिलताओं को कवर करता हो।
- **सरोगेट माँ बनने की पात्रता:** सरोगेट माँ को दंपति की **निकट संबंधी** होना चाहिए।
  - वह एक **विवाहित महिला** होनी चाहिए जिसके पास **अपना एक बच्चा** हो।
  - उसकी आयु **25 से 35 वर्ष** के बीच होनी चाहिए।
  - वह **अपने जीवन में केवल एक बार** सरोगेट बन सकती है।
  - उसे **चिकित्सकीय और मानसिक रूप से फिट** होने का प्रमाणपत्र भी प्राप्त करना होगा।
- **विनियमन और निगरानी:** अधिनियम के अंतर्गत **राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड (NSB)** और **राज्य सरोगेसी बोर्ड (SSB)** की स्थापना अनिवार्य है।
  - ये संस्थाएं सरोगेसी क्लीनिकों के लिए मानक तय करने, उल्लंघनों की जांच करने और सुधार की सिफारिशें देने का कार्य करती हैं।
- **अपराध और दंड:**
  - अधिनियम के अंतर्गत अपराधों में शामिल हैं:
    - व्यावसायिक सरोगेसी
    - भ्रूण की बिक्री
    - सरोगेट बच्चे का शोषण या परित्याग
  - इन अपराधों के लिए **10 वर्ष तक की जेल** और **₹10 लाख तक का जुर्माना** लगाया जा सकता है।

आयु सीमा के पक्ष में तर्क

- **बच्चे की कल्याण और पालन-पोषण क्षमता**: यह सुनिश्चित करता है कि माता-पिता बच्चे के प्रारंभिक वर्षों में उसे पालने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हों।
- **विनियामक मानकीकरण**: पूरे भारत में क्लीनिकों और सरोगेसी व्यवस्थाओं के लिए एकरूपता एवं कानूनी स्पष्टता प्रदान करता है।
- **प्रजनन अधिकार और स्वास्थ्य जोखिमों का संतुलन**: 50 वर्ष से अधिक की महिलाओं और 55 वर्ष से अधिक के पुरुषों में चिकित्सकीय जटिलताओं, आनुवंशिक विकृतियों एवं उम्र से संबंधित प्रजनन क्षमता में गिरावट का जोखिम अधिक होता है।
- **जिम्मेदार अभिभावकत्व की नीति को समर्थन**: यह विचार को सुदृढ़ करता है कि प्रजनन — प्राकृतिक हो या सहायक — एक जिम्मेदार आयु सीमा में होना चाहिए।

आयु सीमा के विरुद्ध तर्क

- **प्रजनन स्वायत्तता का उल्लंघन**: आयु प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के अंतर्गत प्रजनन विकल्प के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं।
- **मनमाने और कठोर प्रतिबंध**: निर्धारित आयु सीमाएँ व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्थिति, जैविक विविधताओं या चिकित्सा विज्ञान की प्रगति को ध्यान में नहीं रखतीं।
- **देर से विवाह और पुनर्विवाह को बाहर करना**: बदलते सामाजिक प्रवृति के साथ, कई लोग देर से शादी या पुनर्विवाह कर रहे हैं, ऐसे दंपतियों को यह आयु सीमा अनुचित रूप से बाहर कर देती है।
- **प्राकृतिक गर्भधारण में कोई प्रतिबंध नहीं**: राज्य प्राकृतिक गर्भधारण पर कोई आयु सीमा नहीं लगाता, लेकिन ART और सरोगेसी पर आयु प्रतिबंध लगाता है, जिससे अनुचित हस्तक्षेप की चिंता उत्पन्न होती है।

आगे की राह

- हालांकि ART और सरोगेसी अधिनियमों के अंतर्गत आयु सीमाएँ चिकित्सकीय सुरक्षा और बच्चे का कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं, लेकिन एक **अधिक संतुलित एवं अधिकार-आधारित दृष्टिकोण** अपनाने की आवश्यकता है।
- कानून को **मेडिकल फिटनेस, मानसिक तैयारी और सामाजिक समर्थन प्रणाली** के आधार पर **प्रत्येक मामले का लचीला मूल्यांकन** करना चाहिए।
- यह प्रजनन स्वायत्तता को बनाए रखेगा, **संवैधानिक अधिकारों** के अनुरूप होगा और **बदलते सामाजिक एवं चिकित्सकीय यथार्थ** को दर्शाएगा।

Source: IE

ब्लू इकॉनमी(नीली अर्थव्यवस्था) पर श्वेत पत्र

संदर्भ

- श्वेत पत्र "भारत की ब्लू इकोनॉमी का रूपांतरण" 2035 तक भारत के विशाल समुद्री संसाधनों की क्षमता को राष्ट्रीय विकास में एक केंद्रीय योगदानकर्ता के रूप में खोलने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

ब्लू इकोनॉमी क्या है?

- ब्लू इकोनॉमी का अर्थ है समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग — आर्थिक विकास, आजीविका सुधार और रोजगार सृजन के लिए — साथ ही महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखना।
- यह समुद्र से जुड़ी कई गतिविधियों को समाहित करता है जैसे:

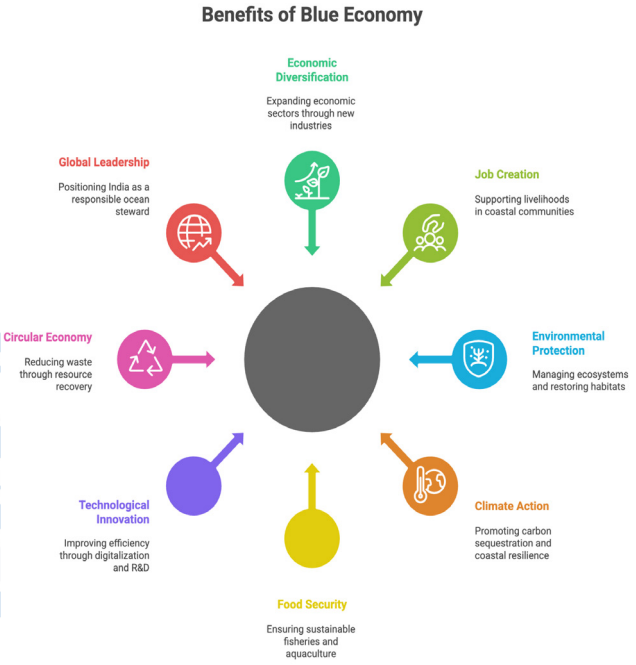

  - मत्स्य पालन
  - जलीय कृषि (एक्वाकल्चर)
  - नौवहन
  - बंदरगाह
  - समुद्री जैव प्रौद्योगिकी आदि

ब्लू इकोनॉमी के मॉडल

- **समुदाय-आधारित सिवार्ड खेती (ओडिशा)**
  - तटीय आजीविका में विविधता लाती है
  - पूरक आय प्रदान करती है
  - घुलित CO_2 को अवशोषित कर जलवायु परिवर्तन को कम करती है
  - जल गुणवत्ता सुधारती है
  - 10,000 से अधिक परिवारों को लाभ

- **स्मार्ट पोर्ट रूपांतरण (कोच्चि)**
  - डिजिटल ट्विन तकनीक की शुरुआत
  - संचालन दक्षता में वृद्धि
  - जहाजों की प्रतीक्षा समय में कमी
  - संसाधनों का अनुकूलन
  - सटीक पर्यावरण निगरानी के माध्यम से स्थायित्व में सुधार
- **हरित जहाज पुनर्चक्रण (आलंग, गुजरात)**
  - अंतरराष्ट्रीय मानकों (हांगकांग कन्वेंशन) के अनुसार उन्नयन
  - स्टील और धातुओं की कुशल पुनर्प्राप्ति
  - सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से उचित खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता है

भारत की ब्लू इकोनॉमी की प्रमुख पहलें

- **डीप ओशन मिशन (DOM)**
  - पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स और गहरे समुद्री जैव संसाधनों की खोज
  - मानवयुक्त सबमर्सिबल का विकास
  - भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में मानचित्रण और सतत निष्कर्षण
- **सागरमाला कार्यक्रम**
  - बंदरगाहों का आधुनिकीकरण
  - लॉजिस्टिक्स में सुधार
  - नए तटीय आर्थिक क्षेत्रों का विकास
- **ब्लू इकोनॉमी 2.0**
  - तटीय पारिस्थितिकी तंत्र (मैंग्रोव, कोरल रीफ) की पुनर्स्थापना
  - तटरेखाओं को जलवायु-सुरक्षित बनाना
  - सतत जलीय कृषि और समुद्री कृषि को बढ़ावा देना, विशेष रूप से सिवार्ड खेती
- **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)**
- मत्स्य पालन का आधुनिकीकरण
- सतत प्रथाओं को प्रोत्साहन
- लाखों मछुआरों को समर्थ

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

शहीद उधम सिंह

समाचार में

- प्रधानमंत्री ने शहीद उधम सिंह को उनके शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

शहीद उधम सिंह

- उनका जन्म 1899 में पंजाब के संगरूर में हुआ था।
- उनके माता-पिता का निधन बचपन में ही हो गया था।
- 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दी गई थी, जब उन्होंने लंदन में माइकल ओ'ड्वायर की हत्या की — जो पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे — यह 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध था।

विरासत

- उधम सिंह ने अपना जीवन आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया।
- उन्होंने ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह शुरू किया।
- जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें गहराई से झकझोर दिया, जिसके चलते वे इंग्लैंड गए ताकि वे उन हत्याओं का बदला ले सकें।
- उन्होंने ग़दर पार्टी के माध्यम से विदेशों में रहने वाले भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाई।
- उनका साहस, वीरता और बलिदान भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को और अधिक शक्ति प्रदान करता है।

क्या आप जानते हैं?

- जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब बैसाखी के अवसर पर अमृतसर, पंजाब में शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा हुए निहत्थे प्रदर्शनकारियों और तीर्थयात्रियों पर ब्रिटिश भारतीय सेना के सैनिकों ने कर्नल रेजिनाल्ड डायर के नेतृत्व में गोलियां चला दीं।
- यह भीड़ राष्ट्रवादी नेताओं सत्य पाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्र हुई थी।

- अंधाधुंध गोलीबारी से भारी संख्या में लोग हताहत हुए।
- ब्रिटिश आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, 379 लोग मारे गए और लगभग 1,200 घायल हुए।
- हालांकि, अन्य अनुमानों के अनुसार मृतकों की संख्या 1,000 से अधिक थी।

Source :PIB

स्वच्छता पखवाड़ा 2025

संदर्भ

- हाल ही में, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने स्वच्छता पखवाड़ा 2025 मनाया।

परिचय

- स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत एक पहल है।
- यह कार्यक्रम 2016 में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को शामिल करके स्वच्छता के मुद्दों एवं प्रथाओं पर गहन ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- यह एक वार्षिक आयोजन है जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता और सफाई से संबंधित गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलाना तथा उन्हें प्रोत्साहित करना है।
- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) एक नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है, जो प्रत्येक वर्ष पखवाड़ा मनाने के लिए सुझावात्मक गतिविधियाँ निर्धारित करता है।

Source: PIB

न्याय बंधु विधिक सहायता कार्यक्रम

संदर्भ

- जून 2025 तक, लगभग 14888 महिला लाभार्थियों ने न्याय बंधु ऐप के अंतर्गत पंजीकरण कराया है।

परिचय

- न्याय बंधु (निशुल्क विधिक सेवा) "न्याय तक समग्र पहुँच के लिए अभिनव समाधान तैयार करना" (दिशा) योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यक्रमों में से एक है।
- इसे 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका कार्यान्वयन विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत न्याय विभाग द्वारा किया जाता है।
- यह इच्छुक निशुल्क अधिवक्ताओं का पंजीकरण करता है और उन्हें लाभार्थियों से जोड़ता है।
- लाभार्थी न्याय बंधु ऐप के माध्यम से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता के हकदार हैं।
- निशुल्क वकील की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए, आवेदक और वकील दोनों को न्याय बंधु मोबाइल ऐप पर पंजीकरण कराना आवश्यक है।
- दूरदराज के क्षेत्रों में न्याय बंधु कार्यक्रम की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, विधि विद्यालयों में प्रो बोनो क्लब (पीबीसी) गांवों में लाभार्थियों को सामुदायिक देखभाल, विधिक सहायता और विधिक जागरूकता प्रदान करने में लगे हुए हैं।

Source: PIB

मलेरिया उन्मूलन

समाचार में

- भारत ने 2015 से मलेरिया का भार 80% से अधिक कम कर दिया है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में अब भी संक्रमण की दर अधिक बनी हुई है।

मलेरिया

- यह एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित मादा एनोफिलीज़ मच्छरों के काटने से फैलती है।
- रक्त संक्रमण और दूषित सुइयों से भी मलेरिया फैल सकता है।
- यह मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय देशों में पाया जाता है।
- यह रोके जाने योग्य और इलाज योग्य बीमारी है।
- यह एक परजीवी के कारण होता है और व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलता।

लक्षण

- यह हल्का या जानलेवा हो सकता है।

- हल्के लक्षणों में बुखार, ठंड लगना और सिरदर्द शामिल हैं।
- गंभीर लक्षणों में थकान, भ्रम, दौरे पड़ना और सांस लेने में कठिनाई शामिल हैं।

जोखिम

- शिशु, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और लड़कियाँ, यात्री और HIV/AIDS से ग्रस्त लोग गंभीर संक्रमण के उच्च जोखिम में होते हैं।
- 2023 में वैश्विक स्तर पर मलेरिया ने 294 मिलियन लोगों को संक्रमित किया और इससे लगभग 600,000 लोगों की मृत्यु हो गयी है।

रोकथाम

- मलेरिया को मच्छरों के काटने से बचकर और दवाओं के माध्यम से रोका जा सकता है।
- उपचार से हल्के मामलों को गंभीर होने से रोका जा सकता है।

टीके

- R21/Matrix-M वैक्सीन, जिसे ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है, ने तीसरे चरण के परीक्षणों में 77% तक प्रभावशीलता दिखाई और 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की मंजूरी प्राप्त की।
- कम खुराक, कम लागत और भारत में उत्पादन इसे विशेष रूप से आशाजनक बनाते हैं।
- पूरे परजीवी पर आधारित टीके जैसे PfSPZ और द्वि-चरणीय भारतीय उम्मीदवार AdFalciVax ने भी सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं।
- ट्रांसमिशन-ब्लॉकिंग टीके, mRNA प्लेटफॉर्म और इंजीनियर एंटीबॉडीज़ भी विकास में हैं।

भारत के लक्ष्य

- भारत का लक्ष्य 2030 तक मलेरिया को समाप्त करना है।
- लेकिन चुनौतियों में दवा प्रतिरोध, बिना लक्षण वाले वाहक और बार-बार लौटने वाला P. vivax संक्रमण शामिल हैं।
- इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक, राजनीतिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य समन्वय की निरंतर आवश्यकता होगी — जिसमें टीके, मच्छर नियंत्रण और स्वास्थ्य प्रणाली का समर्थन शामिल होगा।

Source :TH

भारत और मोरक्को द्वारा न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर

संदर्भ

- भारत और मोरक्को ने न्यायिक और कानूनी क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) और एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

परिचय

- MLAT नागरिक और वाणिज्यिक मामलों पर केंद्रित है, जिससे दोनों देश:
  - न्यायिक दस्तावेजों की सेवा, अनुरोध पत्रों के माध्यम से साक्ष्य प्राप्त करने, और न्यायिक निर्णयों, आदेशों, समझौतों एवं मध्यस्थता पुरस्कारों के निष्पादन में सहयोग कर सकेंगे।
- यह कानूनी विशेषज्ञता, प्रशिक्षण और अनुसंधान के आदान-प्रदान पर भी केंद्रित है।
- प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, वार्षिक सहयोग कार्यक्रमों की योजना बनाने हेतु एक संयुक्त समन्वय समिति की स्थापना की जाएगी।

मोरक्को

- मोरक्को पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका का एक पहाड़ी देश है जो स्पेन से जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के ठीक पार स्थित है।

- मोरक्को की सीमा पूर्व एवं दक्षिण-पूर्व में अल्जीरिया, दक्षिण में पश्चिमी सहारा, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और उत्तर में भूमध्य सागर से लगती है।
- यह एकमात्र अफ्रीकी देश है जिसका तटीय क्षेत्र अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर दोनों से जुड़ा है।

Source: PIB

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)को सहायता अनुदान

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना "राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को अनुदान सहायता" को मंजूरी दे दी है।

परिचय

- NCDC कार्यान्वयन एजेंसी होगी।
  - यह NCDC के दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार के माध्यम से या सीधे सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करेगी।
- विभिन्न क्षेत्रों के लिए परियोजना सुविधाओं की स्थापना/आधुनिकीकरण/प्रौद्योगिकी उन्नयन/विस्तार और उनके व्यवसायों को कुशलतापूर्वक और लाभप्रद रूप से चलाने के लिए कार्यशील पूंजी के लिए ऋण प्रदान किए जाएँगे।

सहकारिता

- एक सहकारी (या को-ऑप) एक संगठन या व्यवसाय है जिसका स्वामित्व और संचालन व्यक्तियों के एक समूह द्वारा किया जाता है, जिनके समान हित, लक्ष्य या आवश्यकताएँ होती हैं।
- ये व्यक्ति, जिन्हें सदस्य कहा जाता है, सहकारी की गतिविधियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, सामान्यतः एक-सदस्य, एक-मत के आधार पर, चाहे प्रत्येक सदस्य कितनी भी पूँजी या संसाधनों का योगदान करे।
- एक सहकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य बाहरी शेयरधारकों के लिए लाभ को अधिकतम करने के बजाय अपने सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता है।
- भारत में 8.25 लाख से अधिक सहकारी समितियाँ हैं जिनके 29 करोड़ से अधिक सदस्य हैं और 94% किसान सहकारी समितियों से जुड़े हैं।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)

- इसकी स्थापना 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निगम के रूप में की गई थी।

कार्य:

- सहकारी समितियों के माध्यम से कार्यक्रमों की योजना बनाना, उन्हें बढ़ावा देना और उनका वित्तपोषण करना, साथ ही मुर्गीपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, रेशम उत्पादन, हथकरघा आदि जैसी आय सृजन गतिविधियों का वित्तपोषण करना।
- यह ग्रामीण औद्योगिक सहकारी क्षेत्रों में परियोजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ अधिसूचित सेवाओं के लिए भी वित्तपोषण करता है।
- प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की सहकारी समितियों के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों को ऋण और अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

Source: PIB

कवच 4.0

संदर्भ

- भारतीय रेलवे ने उच्च-घनत्व वाले दिल्ली-मुंबई मार्ग के मथुरा-कोटा खंड पर स्वदेशी रेलवे सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 को चालू किया है।

कवच क्या है?

- यह भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है।
- कवच, लोको पायलट द्वारा ब्रेक न लगाने की स्थिति में स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेनों को निर्दिष्ट गति सीमा के अंदर चलाने में लोको पायलट की सहायता

करता है और खराब मौसम के दौरान ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाने में भी मदद करता है।

- इसे उच्चतम सुरक्षा मानक - सुरक्षा अखंडता स्तर 4 (एसआईएल-4) के अनुसार डिज़ाइन किया गया है - जहाँ विफलता की संभावना 10,000 वर्षों में केवल 1 है।
- उन्नत संस्करण 'कवच 4.0' को मई 2025 में 160 किमी प्रति घंटे तक की गति के लिए अनुमोदित किया गया है।

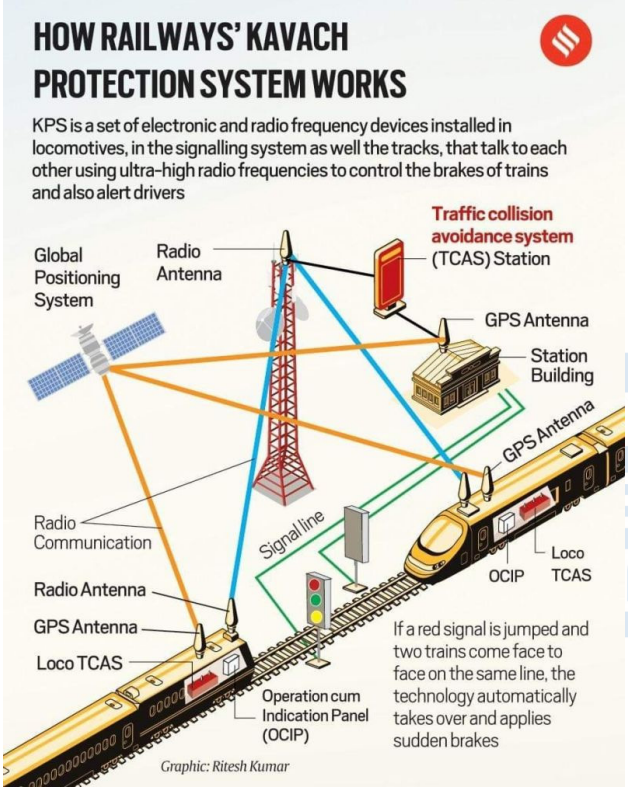

Source: PIB

कांडला बंदरगाह पर भारत का प्रथम 1 मेगावाट हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू

संदर्भ

- भारत का प्रथम स्वदेशी रूप से विकसित 1 मेगावाट का ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में उद्घाटन किया गया।
- संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 140 मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने में सक्षम है।
- दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण ने इससे पहले भारत का पहला मेड-इन-इंडिया ऑल-इलेक्ट्रिक ग्रीन टग प्रस्तुत किया है, जिससे पर्यावरण-अनुकूल बंदरगाह संचालन में इसकी अग्रणी भूमिका और मजबूत हुई है।

ग्रीन हाइड्रोजन क्या है?

- **ग्रीन हाइड्रोजन:** इलेक्ट्रोलिसिस, अर्थात् सौर या पवन जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न विद्युत से जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है।
- MNRE ग्रीन हाइड्रोजन को वेल-टू-गेट उत्सर्जन (अर्थात, जल उपचार, इलेक्ट्रोलिसिस, गैस शोधन, हाइड्रोजन का सुखाने और संपीड़न सहित) के रूप में परिभाषित करता है जो 2 किलोग्राम CO_2 समतुल्य / किलोग्राम H_2 से अधिक नहीं होना चाहिए।

कांडला बंदरगाह के बारे में

- कांडला बंदरगाह, जिसे आधिकारिक तौर पर दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है, भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है।
- यह कच्छ की खाड़ी के मुहाने से लगभग 90 किलोमीटर दूर कांडला खाड़ी पर स्थित है।
- कांडला बंदरगाह का निर्माण 1950 के दशक में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात् पश्चिमी भारत के लिए प्राथमिक बंदरगाह के रूप में किया गया था।

Source: TOI

हिमगिरी

समाचार में

- भारतीय नौसेना को कोलकाता में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित उन्नत निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट हिमगिरी प्राप्त हुआ।

हिमगिरी (यार्ड 3022)

- यह नीलगिरी श्रेणी (प्रोजेक्ट 17ए) का तीसरा फ्रिगेट और GRSE द्वारा निर्मित प्रथम फ्रिगेट है।
  - प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट बहुमुखी बहु-मिशन प्लेटफॉर्म हैं, जिन्हें समुद्री क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- यह पूर्ववर्ती INS हिमगिरी, एक लिएंडर श्रेणी के फ्रिगेट का पुनर्जन्म है, जिसे 6 मई, 2025 को सेवामुक्त कर दिया गया था।
- यह युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा डिज़ाइन किया गया एक आधुनिक, बहु-मिशन युद्धपोत है और दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था।

विशेषताएँ

- इसमें ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइलें, उन्नत एईएसए रडार और अत्याधुनिक युद्ध प्रणालियाँ हैं।
- यह वायु-रोधी, सतह-रोधी और पनडुब्बी-रोधी युद्ध में सक्षम है।

महत्व

- यह जहाज उच्च स्वदेशी सामग्री के साथ भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
- यह मॉड्यूलर डिज़ाइन, बेहतर उत्तरजीविता और हेलीकॉप्टरों के लिए पूर्ण विमानन सुविधाएँ प्रदान करता है, जिसमें 225 कर्मियों तक की क्षमता है।

Source : TH